कैम्प कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर।
प्रशासनिक आदेश संख्या–265 दिनांक: 29 जुलाई, 2020

आदेश

प्रशासनिक अधिकारी श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दी गयी कि सिविल कोर्ट के कंटेनमेंट जोन मे होने के कारण दीवानी न्यायालय दिनांक 05.08.2020 तक बन्द करने का आदेश है तथा दिनांक 27.07.2020 से लेकर 05.08.2020 तक के नियत सभी मामलों मे सामान्य तिथि आगे की लगा दी गयी है। रिपोर्ट मे यह भी लिखा गया है कि 31.07.2020 से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आवश्यक जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाना है, इसलिए यदि उचित समझा जाए तो 06.08.2020 से लेकर आगे एक सप्ताह तक नियत आवश्यक जमानत प्रार्थना पत्रों, पूर्वाभाषी जमानत प्रार्थना पत्रों व अन्य आवश्यक प्रार्थना पत्रों को 05.08.2020 तक आने वाले प्रत्येक कार्य दिवस मे पूर्व की तारीख नियत करके उनका निस्तारण हो सकता है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेशानुसार वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एच0जे0एस0 कैडर के विशेष न्यायाधीश, सी0एम0एम0/स्पेशल सी0जे0एम0, सिविल जज (सी0डि0), सिविल जज (जू0डि0) को आवश्यक प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करना है। मेरे न्यायालय मे लम्बित आवश्यक जमानत प्रार्थनापत्रों की सूची दिनांक 06.08.2020 से लेकर 14.08.2020 तक के कार्य दिवसों की दी गयी है। दिनांक 31.07.2020, 04.08.2020 व 05.08.2020 को जमानत प्रार्थना पत्र नियत नहीं हैं इसलिए दिनांक 06.08.2020 को नियत सभी आवश्यक जमानत प्रार्थना पत्रों की तिथि सुनवाई एवं निस्तारण हेतु दिनांक 31.07.2020, दिनांक 07.08.2020 को नियत सभी जमानत प्रार्थना पत्रो को दिनांक 04.08.2020 तथा 10.08.2020 को नियत सभी जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.08.2020 को नियत किये जाते हैं। सभी अधिवक्तागण व जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सूचित हों।

एच0जे0एस0 कैडर के विशेष न्यायाधीश, सी0एम0एम0 व स्पेशल सी0जे0एम0 से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने न्यायालयों मे दिनांक 06.08.2020, 07.08.2020 व 10.08.2020 को नियत आवश्यक प्रार्थना पत्रों को क्रमशः 31.07.2020, 04.08.2020 व 05.08.2020 मे नियत करें और अधिवक्तागण व अभियोजक को सूचना दें। सिविल जज (सी0डि0) व सिविल जज (जू0डि0) से अपेक्षा की जाती है कि वे दिनांक 31.07.2020, 04.08.2020 व 05.08.2020 को सुनवाई हेतु, आगे नियत निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों को तिथि पूर्व मे करके नियत करें और पक्षकारों के अधिवक्तागण को सूचना दें एवं यथासम्भव उनका निस्तारण करें।

आदेश की प्रति जिला न्यायालय की वेबसाइड पर डाल दी जाए, सम्बन्धित अधिकारियों को आज ही प्राप्त करा दी जाए तथा बार एसोसिएशन व दि लायर्स एसोसिएशन, कानपुर नगर के अध्यक्ष/महामंत्रीगण को सूचित करा दिया जाए।

(अशोक कुमार सिंह–III)
जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।